

प्रेषक,

संयुक्त शिक्षा निदेशक,  
आजमगढ़ मण्डल आजमगढ़।

सेवा में,

सचिव,  
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद्  
शिक्षा केन्द्र-2 समुदाय केन्द्र,  
प्रीति विहार, नई दिल्ली।

पत्रांक - एन0ओ0सी0 / \_\_\_\_\_ / 2012-13 दिनांक : 28 जुलाई, 2012

विषय : कोलम्बस इण्टरनेशनल स्कूल, सिसवार नगरा, जनपद-बलिया को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिशा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि उक्त संदर्भित विद्यालय को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिशे जाने में इस राज्य सरकार को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है-

- 1- विद्यालय की पंजीकृत साइटों का समय-समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
- 2- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
- 3- विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के देशी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्/वेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
- 4- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि यह विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेप्टल गवर्न ऑफ सेकेण्ड्री एजुकेशन, नई दिल्ली/कौशल कार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है, तो उस परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।
- 5- संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणोत्तर कर्मचारियों को राशिकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
- 6- कर्मचारियों की सेवा शर्त बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय राज्यतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
- 7- विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजीकृतों में रखा जायेगा।
- 8- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

**Principal**  
Columbus International School  
Nagra Rasra Road, Ballia (U.P.)  
Manager

**Principal**  
Columbus International School  
Nagra Rasra Road, Ballia (U.P.)

(2)

2- उक्त प्रतिकर्षों का फालन करना सरकारी के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय प्राप्त जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिकर्षों का पत्रम नहीं किया जा रहा है अथवा फालन करने में किसी प्रकार की चूकी या शिथिलता दरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय

(सूरज नारायण मिश्र)  
सदस्य सचिव/संयुक्त शिक्षा निदेशक  
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृ०सं०/एन०ओ०सी०/ 1573-81 /2012-13 तद् दिनांक।

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, बलिया।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया।
6. निरीक्षक, आंग्ल भारतीय विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, कोलम्बस इंटरनेशनल स्कूल, सिसवार नगर, जनपद-बलिया।
8. गार्ड फाइल।

(सूरज नारायण मिश्र)  
सदस्य सचिव/संयुक्त शिक्षा निदेशक  
आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।

  
Principal  
Columbus International School  
Nagra Rasra Road, Ballia (U.P.)

  
Columbus International School  
Manager